20/9/17

वक्तव्य इस्पी

वकील अभार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। काल सुनी गई। वकील अभार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी का इस स्थानेश्वरी में नाम नहीं है तथा प्रार्थी ने इस संबंध में अन्तरिम अभ्यर्थी निजेधारा से करनी है। प्रार्थी का इस संबंध में कोई हक अधिकार नहीं है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। नक्शे पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकन पश्चात दिनांक 01/5/2017 को गाटी अन्तरिम अभ्यर्थी निजेधारा के अपील किया जाता है। तथा इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से वक्तव्य पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली कोर्ट से आवश्यक कार्यवाही हेतु दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner